

From:  
PBOD  
Nodal Regional Office,  
Bengaluru

To :  
Mr. P B NAIK  
Emp Id 354080  
Asst General Manager,  
FGMO, Bengaluru

नोडल:आयो-वि,NRO:PBOD:134:2019

Date: 16.09.2019

बैंक के आवासीय क्वार्टर का आवंटन  
Allotment of Bank's Residential quarters

आपके प्रार्थना-पत्र के संदर्भ में, हमें आपको यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि, सक्षम प्राधिकारी ने बैंक के आवासीय क्वार्टर फ्लैट संख्या ए- 3, 509, कावेरी ब्लॉक, नेशनल गेम्स विलेज, कोरमंगला, बेंगलूर को आपको आवंटित करने को स्वीकार कर लिया है. इस संबद्ध में निम्नलिखित नियम तथा शर्तें लागू होंगी-

- हमें इस बात को रिकॉर्ड में रखना होगा कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारी होने के कारण आपको उपरोक्त क्वार्टर का आवंटन आवासीय सुविधा हेतु किया गया है.
- यूबीआई अधिकारी सेवा अधिनियम 1979 के नियम 22(I) के अनुसार आपको जेएमजी/एमएमजी/एसएमजी/टीएमजी के प्रथम चरण हेतु अपने आधार वेतन के 2.5% अथवा नियम 22(I) में वर्णन के अनुसार मानक किराये का भुगतान प्रति माह बैंक को करना होगा. आगे, बैंक के फ्लैट में प्रदत्त ऑफ आइटम के किराये हेतु आपको आधार वेतन के 0.5% के अतिरिक्त भुगतान की आवश्यकता होगी.
- यह स्पष्ट रूप से समझा जाए कि उक्त सुविधा के संबंध में कोई किरायेदारी व उप किरायेदारी अधिकार अथवा कोई अन्य अधिकार नहीं दिया गया है.
- उक्त भवन में कोई भी निर्माण अथवा तोड़-फोड़ बिना बैंक के लिखित अनुमति के नहीं किया जाएगा.
- यह स्पष्ट रूप से समझा जाए कि उक्त आवास दिए जाने के बाद से आप किसी भी एचआरए के पात्र नहीं रहेंगे.
- आपसे सभी घरेलू बिजली बिल/टेलीफोन बिल जमा किए जाने का आग्रह किया जाता है.
- फ्लैट के सार्वजनिक क्षेत्र के रखरखाव संबंधी खर्च का वहन बैंक द्वारा किया जाएगा.
- क्वार्टर को अधिनियम में लेने से पहले वहाँ पर उपरोक्त फर्नीचर वाली वस्तुओं की अभिस्वीकृति की जानी चाहिए.
- क्वार्टर का समुचित रखरखाव किया जाना चाहिए.
- यह आवंटन तत्काल प्रभाव के साथ किया गया है.

उपरोक्त क्वार्टर का आवंटन आपके द्वारा लिए गए पिछले आवास, यदि कोई है, के समर्पण तथा आपके द्वारा लिए गए किराया जमा की वापसी, आपका बेंगलूर में कोई घर नहीं है तथा घर खरीदे जाने की स्थिति में आप तुरंत बैंक का क्वार्टर खाली कर देंगे इसकी

With reference to your application, we are pleased you inform that the competent authority has approved allocation of the Bank's Residential quarter at Flat No. A3, 509, Cauvery Block, National Games Village, Kormangala, Bangalore, on as is where in condition, on the following terms and conditions.

- We have to put on record that the above quarter has been allotted to you for residential accommodation by virtue of your being an employee of Union Bank of India.
- As per Rule 22(I) of UBI Officers Service Regulations 1979, you shall pay to the Bank every month 2.5% of your basic pay for the first stage of JMG/MMG/SMG/TMG or the standard rent as defined in the explanation to the said rule 22(I). Further you will be required to pay an additional 0.5% of basic salary as rent towards OFF items provided at Bank's Flat.
- That it is distinctly understood that no tenancy or sub tenancy right or other rights are intended to be created in respect of said accommodation.
- That no addition or alteration shall be made in the above premises except with the prior written approval of the Bank.
- That it is clearly understood that as long as you are provided with the said accommodation, you shall not be entitled to any HRA.

कृपया उपरोक्त नियम तथा शर्तों की स्वीकारोक्ति के प्रतीक के रूप में आप इस पत्र की नकल प्रति पर हस्ताक्षर करें.

- electricity bills/telephone bills.
- Common area maintenance charges of the flat will be paid by the Bank.
- The furniture items available in the subject quarter are to be acknowledged before taking possession.
- The quarter is to be maintained properly.
- The allotment is with immediate effect.

The allotment of the above quarter is subject to surrender of the previous residence taken by you, if any, and refund of rent deposit availed by you and on the declaration that you do not own any house in Bangalore in your own/parents/spouse/children name and in case you purchase a house in Bangalore, you shall immediately vacate the Bank's Quarters.

Please sign on duplicate copy of this letter as a token of acceptance of the above terms and conditions.

  
CHIEF MANAGER (P&D)

&